

सामाहणालय, मधेपुरा ।
(सामान्य शाखा)
आदेश

समाहणालय, मधेपुरा शहर के पूर्वी बायपास उच्च पथ पर स्थित है। विभिन्न राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा समाहणालय, मधेपुरा के मुख्य द्वार के सामने एवं मुख्य द्वार पर आए दिन धरना-प्रदर्शन कर कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। फलतः प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा होने एवं वाहनों के आवागमन से यातायात पूरी तरह से बाधित होने के साथ-साथ दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है, जिससे विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा ने अपने पत्रांक- 3048-2 दिनांक- 12/12/2014 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि सभी राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने हेतु वर्तमान स्थल उपर्युक्त नहीं है। इस हेतु बी०एन०मंडल स्टेडियम और कला भवन, मधेपुरा के बीच के स्थल को उपयुक्त माना गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बी०एन०मंडल, स्टेडियम एवं निर्मित कला भवन, मधेपुरा के बीच में प्रस्तावित स्थल को धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आहूत करने हेतु अधिसूचित किया जाता है। प्रस्तावित स्थल पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

- (1) कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा उक्त प्रस्तावित स्थल पर चबूतरा श्रेड सहित का निर्माण करने की कार्रवाई करेंगे।
- (2) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा प्रस्तावित स्थल पर चापाकल लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी सम्बंधितों को दी जाय।

Edr
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक- 09

सा०, मधेपुरा दिनांक- 02 जनवरी, 2015

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी राजनैतिक दलों के जिला अध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ। निदेश है कि इसे जिला के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाय एवं सभी सम्बंधितों को ईमेल कर दिया जाय।

2/1/15
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।